दिनांक 27 जून, 2015 को माननीय कुलपतिजी की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न विद्या परिषद की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. प्रोफेसर सुभाष धूलिया, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
   हल्द्वानी।
2. प्रोफेसर आर0सी0 पंत — सदस्य
   पूर्व कुलपति ,
   कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल। ,
3. प्रोफेसर बी0एस0 सारस्वत — सदस्य
   प्रोफसर, रसायन शास्त्र ,
   इग्नू , मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
4. प्रोफेसर जयश्री जेठवानी, — सदस्य
   प्रोफेसर एवं कार्यक्रम निदेशक,
   भारतीय जनसंचार संस्थान,
   नई दिल्ली ।
5. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, — सदस्य
   निदेशक प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी
6. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, — सदस्य
   निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी
7. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, — सदस्य
   निदेशक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी
8. प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे , — सदस्य
   निदेशक ,समाज विज्ञान विद्याशाखा ,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी

9. डॉ0 देवेश कुमार मिश्रा, सदस्य
सहायक प्राध्यापक, संस्कृत,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी

10. डॉ0 सूर्यभान सिंह , सदस्य
सहायक प्राध्यापक ,राजनीति विज्ञान ,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी

11. श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सदस्य सचिव
कुलसचिव
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी

12. डा0 संजय ध्यानी, आमंत्रित सदस्य
उपकुलसचिव
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी

सर्वप्रथम कुलसचिव (सचिव विद्या परिषद) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का विद्या परिषद की सातवीं बैठक में स्वागत किया गया। कार्यसूची के प्रस्तावों पर विचार प्रारम्भ करने से पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुभाष धूलिया द्वारा विद्या परिषद की 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न छठी बैठक से दिनांक 27 जून, 2015 को आहूत बैठक के मध्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रमुख आयोजनों एवं संक्षिप्त प्रगति आख्या से परिषद को अवगत कराया गया। परिषद द्वारा आयोजनों एवं प्रगति आख्या की सराहना करते हुए शैक्षिक गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया गया।

तदुपरान्त परिषद द्वारा कार्यसूची पर विचार किया गया तथा विचार-विमर्श के उपरांत निम्नवत् प्रस्ताव स्वीकार किये गये:-

प्रस्ताव संख्या 7.01: विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 29 अगस्त, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

विद्या परिषद की **दिनांक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न छठी बैठक के** कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.02: विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 29 अगस्त, 2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

परिषद द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.03 : CBCS तथा सेमेस्टर प्रणाली के संबंध में यूजीसी के दिशा-निर्देशों के संबंध में।

परिषद को अवगत कराया गया कि इस महत्वपूर्ण विषय पर यूजीसी द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश मुक्त विश्वविद्यालयों के संबन्ध में स्पष्ट नहीं हैं, अतएव वर्तमान परिस्थितियों में उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन अकादमिक वर्ष 2015-16 से किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा। यह भी अवगत कराया गया कि यूजीसी द्वारा दिनांक 03 अप्रैल, 2015 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में उत्तराखण्ड व उत्तरप्रदेश क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की एक बैठक आहूत की गई थी जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि डा0 प्रवीण कुमार तिवारी को यूजीसी के प्रतिनिधियों की ओर से अवगत कराया गया कि मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए CBCS तथा सेमेस्टर प्रणाली के संबंध में अलग से नीति निर्धारित की जायेगी। लेकिन अभी तक यूजीसी की ओर से कोई लिखित निर्देश या सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है। इग्नू के प्रतिनिधि, माननीय सदस्य प्रोफेसर बी0एस0 सारस्वत द्वारा भी इस संबंध में मानव संसाधन मंत्रालय तथा यूजीसी के मध्य हो रही कार्यवाही तथा अभी तक कोई दिशा-निर्देश निर्गत न होने की बात कही गई। कुलपतिजी ने परिषद को बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 जून 2015 को दिल्ली में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक आहूत की गई है। संभव है कि उक्त बैठक के बाद इस संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हों। सम्यक विचारोपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि यूजीसी से मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा की जाय तथा तदुपरांत विश्वविद्यालय द्वारा वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.04 : यूजीसी के द्वारा डिग्रियों के विनिर्देशन के संबंध में जारी राजपत्र के संबंध में।

प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा यूजीसी के विनिर्देशन के अनुरूप जिन उपाधियों के नाम राजपत्र के अनुरूप परिवर्तित किया जाना वांछित हो, तदनुसार परिवर्तन किए जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.05 : विश्वविद्यालय की विभिन्न विद्या शाखाओं के अध्ययन बोर्डों (Board of Studies) की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। माननीय सदस्य प्रो0 आर.सी.पंत का सुझाव था कि विज्ञान विद्याशाखा में जब तक पर्याप्त फैकल्टी उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक नये पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाना उचित नहीं होगा तथा पुराने पाठ्यक्रमों को भी तभी चलाया जाय जबकि विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त हो और विद्यार्थियों को परामर्श दिए जाने की उचित व्यवस्था हो। माननीय सदस्य डा0 जयश्री जेठवानी ने पर्यावरण संबन्धी पाठ्यक्रमों के संचालन से पहले उनकी इस विषय में पर्याप्त अनुभव रखने वाले संस्थानों के द्वारा भली-भांति समीक्षा किए जाने की सलाह दी।

सम्यक विचार विमर्श के बाद परिषद द्वारा –

1. कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा द्वारा कम्प्यूटर साइंस विषय के अंतर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संबंध में अध्ययन बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।

2. विज्ञान विद्याशाखा द्वारा पर्यावरण विज्ञान संबन्धी पाठ्यक्रमों के संबन्ध में निर्णय लिया गया कि इन पर गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय-विशेषज्ञों से परामर्श लेकर पुन: विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
3. Master of Technology in Environmental Science and Technology पाठ्यक्रम के संबन्ध में शंका व्यक्त की गई कि Technology शब्द के कारण इस पाठ्यक्रम हेतु AICTE की आपत्ति भी हो सकती है, तथा इसे विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित करना युक्तिसंगत होगा भी या नहीं। अतएव इस बिन्दु पर पुनर्विचार कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. विज्ञान विद्याशाखा के गणित विषय के अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.06: विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को यू0जी0सी0के पत्र संख्या-UGC/DEB/Recog./2013/1346-1350 दिनांक 26 अगस्त, 2013 द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित किए जाने की मान्यता के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तथा पाठ्यक्रनों की मान्यता विस्तारण हेतु यू.जी.सी. से किए जा रहे सतत अनुश्रवण पर संतोष व्यक्त किया गया तथा अनुश्रवण जारी रखे जाने हेतु निर्देश दिए गये।

प्रस्ताव संख्या 7.07: UGC-DEB के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना F.No. UGC/DEB/ TECH/EDU/1/2015 दिनांक 11.03.2015 के संबंध में।

प्रस्ताव के संबंध में निदेशक, अकादमिक प्रोफेसर आर.सी.मिश्र के द्वारा सभी तथ्यों को विद्या परिषद के सम्मुख रखा गया। विद्या परिषद ने सम्यक चर्चा एवं विचार के उपरान्त यह मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के होटल प्रबन्ध के कार्यक्रम त्रि-पक्षीय समिति (जिसमें UGC, AICTE तथा DEC सम्मिलित थे) की संस्तुति पर आधारित निर्णय के सापेक्ष UGC द्वारा, अन्य कार्यक्रमों के साथ ही, सत्र 2015-16 तक अनुमोदित हैं। अत: नियमानुकूल हैं एवं सत्र 2015-16 तक निर्बाध रूप से मान्य हैं और संचालित किए जाऐंगे। सत्र 2015-16 के बाद नियामक संस्था से प्राप्त निर्देशों पर विद्या परिषद पुन: विचार करेगी।

प्रस्ताव संख्या 7.08: AICTE के वेब पोर्टल (Web Portal) पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों को नहीं दर्शाये जाने के संबंध में।

परिषद द्वारा वस्तुस्थिति का संज्ञान लिया गया और इस हेतु किए गये प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि इन प्रयासों को व्यवस्थित एवं चरणबद्ध तरीके से जारी रखा जाय।

प्रस्ताव संख्या 7.09:- विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगारपरक नवीन कार्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्ताव।

परिषद के संज्ञान में लाया गया कि माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय के निर्देशानसुार विश्वविद्यालय में व्यवसायिक अध्ययन विद्याशाखा के अंतर्गत एक Centre of Excellence in Automobile Engineering स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। परिषद ने इस पहल की सराहना की तथा संभावना व्यक्त की कि उक्त Centre of Excellence in Automobile Engineering की स्थापना से राज्य में कौशल संवर्धन एवं रोजगार परक अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रस्ताव संख्या 7.10: शोध उपाधि (पीएच0डी0) कार्यक्रम से संबंधित निर्णयों व भविष्य के लिए नीति-निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव।

परिषद को मुक्त विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के संचालन पर यू.जी.सी. द्वारा लगाई गयी रोक से अवगत कराया गया। परिषद वस्तुस्थिति से अवगत हुई और दिनांक 29 जून 2015 को एम.एच.आर.डी., नई दिल्ली द्वारा आहूत मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक के पश्चात् यू.जी.सी./एम.एच.आर.डी. नियामक संस्था से प्राप्त होने वाले निर्देशों के सापेक्ष इस सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.11: विश्वविद्यालय में नेपाली, भूटानी, तिब्बती एवं अन्य विदेशी अध्ययनार्थियों के प्रवेश के संबंध में नीति निर्धारण।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा प्रस्ताव का यथावत अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.12: विश्वविद्यालय के चयनित अध्ययन केन्द्रों में ''स्मार्ट क्लास रूम'' सुविधा की स्थापना के संबंध में।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया। स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए जाने के प्रस्ताव की सराहना की गई तथा प्रस्ताव का यथावत अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.13: विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य शिक्षा सेवा प्रदाताओं के साथ किये जाने वाले अनुबन्धों (एम0ओ0यू0) के संबंध में नीति निर्धारण।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि बाह्य शिक्षा सेवा प्रदाताओं के साथ समझौते /अनुबन्ध पत्र की शर्तों के निर्धारण हेतु कुलपति जी के अनुमोदन से गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय/ विद्यार्थी हित में शर्तों का परीक्षण कर समझौता/अनुबन्ध पत्र का नमूना तैयार करेगी तथा तदनुरूप ही समझौता/अनुबन्ध की कार्यवाही निष्पादित की जाय।

प्रस्ताव संख्या 7.14 : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार एम0एड0 कार्यक्रम का संचालन बन्द किये जाने के संबंध में।

परिषद, प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों से अवगत हुई तथा **एम.एड. कार्यक्रम** को बन्द किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.15: विश्वविद्यालय में बी0एड0 कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2016-17 से **बी.एड. पाठ्यक्रम** संचालित किए जाने पर संतोष व्यक्त किया गया। इसका अनुमोदन विद्या परिषद द्वारा पूर्व में ही कर दिया गया था।

प्रस्ताव संख्या 7.16: विश्वविद्यालय के कतिपय अध्ययन केन्द्रों को उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव (विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 5 की उपधारा XXV के अन्तर्गत)।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ करवाने हेतु विषय-विशेष में अध्ययन के लिए पर्याप्त सुविधा सम्पन्न /विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षण संस्थानों/ अध्ययन केन्द्रों को विशिष्ट विषयों में विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों (University Colleges) के रूप में विकसित किये जाने तथा इन महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के मॉडल स्टडी सेन्टर/सेन्टरों में मिश्रित अधिगम पद्धति (Blended Mode) में कक्षायें चलाये जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा में एकाधिक एवं अन्य सभी विद्याशाखाओं में अधिकतम एक महाविद्यालय (University College) स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.17: विश्वविद्यालय में सृजित 'सिस्टम मैनेजर' पद की अर्हता निर्धारण के संबंध में।

परिषद द्वारा "सिस्टम मैनेजर'' के पद पर वर्तमान अर्हताओं के आधार पर सुयोग्य व्यक्ति के उपलब्ध न हो पाने की परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए उक्त पद हेतु कार्यसूची में प्रस्तावित अर्हताओं का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.18: विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित 13 विद्याशाखाओं के अधीन ऐसे विभाग जिनमें कोई भी शैक्षिक पद सृजित नहीं हैं, में सहायक प्राध्यापक पद के सृजन पर विचार।

परिषद द्वारा सभी विभागों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के उपलब्ध होने पर बल दिया गया तथा प्रस्ताव में इंगित विद्याशाखाओं के अंतर्गत दर्शाये गये प्रत्येक विभाग में एक एक सहायक प्राध्यापक के पद सृजन हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कुलपति द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि कुछ प्रमुख विभागों में 1+1+2 (01 प्रोफेसर, 01 एसोसिएट प्रोफेसर तथा 02 असिस्टेंट प्रोफेसर) की व्यवस्था अपनाई जायेगी और नये पदों के सृजन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा। विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया और उल्लेख किया गया कि विश्वविद्यालय में संकाय(फैकल्टी) का विस्तार विश्वविद्यालय की प्रगति के अनुसार तथा शिक्षार्थियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप होना आवश्यक है।

प्रस्ताव संख्या 7.19: विश्वविद्यालय में सृजित प्राध्यापक पदों पर नियमित नियुक्ति होने की अवधि तक अर्ह सेवानिवृत्त शिक्षकों के नियोजन पर विचार।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया और गुणवत्तायुक्त शिक्षण तथा उसके प्रसार के लिए प्राध्यापकों के पदों पर नियमित नियुक्ति यथाशीघ्र किए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने पर बल दिया गया। जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सेवानिवृत्त प्राध्यापकों की अल्पकालिक नियुक्ति किए जाने हेतु कुलपति को अधीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी अनुमोदन किया गया कि विभागों में जहां भी शिक्षकों की कमी हो, दूरस्थ शिक्षा पद्धति की अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु Adjunct Faculty/ Contractual faculty/Consultant आदि की यथासमय नियुक्तियां किए जाने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का यथावत अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.20: अध्ययन बोर्डों (Board of Studies) तथा विशेषज्ञ समितियों (Expert Committees) की बैठकों के कार्यकाल तथा प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में।

परिषद द्वारा अध्ययन बोर्डों (Board of Studies) तथा विशेषज्ञ समितियों (Expert Committees) तथा उनके सदस्यों के कार्यकाल, बैठक आयोजन प्रक्रिया, आदि में स्पष्टता न होने का संज्ञान लिया गया तथा विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 16 उपधारा (2) के (एक)(घ) में प्रस्तावित आंशिक संशोधन तथा परिनियम धारा 17 में प्रस्तावित उपधारा (4) के समावेश के साथ ही अध्ययन बोर्ड एवं विशेषज्ञ समितियों की बैठक आयोजन प्रक्रिया की प्रस्तावित आंतरिक नियमावली का सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.21: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 7.21.1: आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत Optometry विषय को प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।

डा0 हेमन्त काण्डपाल, सहायक प्राध्यापक, आयुर्वेद के द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत अनुरोध कि विश्वविद्यालय की स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत ऑप्टोमेट्री (Optometry) का पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, क्योंकि यह एक ऐसे क्षेत्र के रूप मे उभर कर आ रहा है जिसमें रोजगार के अवसरों की अच्छी संभावना है। इस विषय पर चर्चा के उपरांत परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के पूर्व संबन्धित विशेषज्ञ समिति एवं अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों पर आगामी विद्या परिषद की बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 7.21.2: पूर्व विद्यार्थी संघ (Alumni Association) का गठन।

माननीय सदस्य डा0 जयश्री जेठवानी का सुझाव था कि विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के रोजगार हेतु सार्थक पहल की जानी चाहिए। साथ ही साथ सभी पूर्व विद्यार्थियों के बारे में अद्यतन जानकारी की भी व्यवस्था होना आवश्यक है ताकि जब कभी, कहीं से भी पूर्व विद्यार्थियों के रोजगार, प्रगति व उपलब्धियों के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो वह सुलभ हो सके साथ ही साथ विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों के संचालन में उक्त जानकारी से लाभान्वित हो सके। परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत विश्वविद्यालय में स्थापित सेवा नियोजन निदेशालय को सुदृढ़ करने तथा पूर्व विद्यार्थी संघ (Alumni Association) का गठन किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कुलपतिजी द्वारा सुझाव दिया गया कि रोजगारपरक कार्यक्रमों में सेवा नियोजन विशेषरूप से महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय तथा उनमें Guest Faculty के रूप में उद्योगजगत के विशेषज्ञों को आमंन्त्रित किया जायेगा जो विद्यार्थियों के सेवा नियोजन में सहायक हो सकते हैं। परिषद द्वारा कुलपति के सुझाव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.21.3: राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संघ (State Open Universities Association) का गठन।

माननीय सदस्य प्रोफेसर बी0एस0 सारस्वत, द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों का एक संघ स्थापित किया जाना चाहिए। उक्त संघ के अस्तित्व में आने पर एक ओर सभी मुक्त विश्वविद्यालयों में अकादमिक तथा प्रशासनिक नीतियों में समरूपता हो सकेगी तथा दूसरी ओर मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा जिन समस्याओं व चुनौतियों का सामना किया जा रहा है उनके समाधान हेतु राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संघ प्रबल पहल करने में सक्षम हो सकेगा। उक्त सुझाव की सराहना की गई तथा उचित मंच पर राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संघ (State Open Universities Association) के गठन हेतु पहल किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव संख्या 7.22: अनुपूरक कार्यसूची

प्रस्ताव संख्या 7.22.1 : विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-6 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' में संशोधन विषयक प्रस्ताव।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 10वीं बैठक दिनांक 18.07.2014 में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय 6- 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' में संशोधन किए जाने पर विचार किया गया और प्रस्ताव के पुनर्परीक्षण की आवश्यकता समझी गई। अतएव निर्णय लिया गया कि इस हेतु कुलपतिजी द्वारा एक समिति का गठन किया जाय जिसके समन्वयक निदेशक (अकादमिक) होंगे तथा सभी विद्याशाखाओं के निदेशक सदस्य होंगे। समिति द्वारा पुनर्परीक्षण के उपरांत प्रस्तुत संस्तुतियों पर कुलपति की सहमति होने पर, कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.22.2: शासनादेश संख्या-1041/XXX(6)/2014/24(1)13, दिनांक 15 जुलाई, 2014 द्वारा सृजित शैक्षिक पदों के विषय निर्धारण विषयक प्रस्ताव।

परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1041/XXX (6)/2014/ 24 (1) 13, दिनांक 15 जुलाई, 2014 के माध्यम से विश्वविद्यालय हेतु 10 सह-प्राध्यापकों(Associate Professors) एवं 07 सहायक प्राध्यापकों (Assistant Professors) के पदों के सृजन पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा उक्त पदों का विषय-विशेष में शैक्षिक पदों की उपलब्धता तथा पदों की आवश्यकता के आंकलन के आधार पर विद्याशाखावार तथा विषयवार प्रस्तावित आवंटन का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :-

सह-प्राध्यापक (Associate Professor)

क्रम सं0	विद्याशाखा	पद संख्या	प्रस्तावित विषय
1.	कृषि एवं विकास अध्ययन	01	विकास अध्ययन (Development Studies)
2.	शिक्षाशास्त्र	01	शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)
3.	कम्प्यूटर सांइस एवं सूचना प्रौद्योगिकी	01	कम्प्यूटर सांइस (Computer Science)
4.	पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन	01	पत्रकारिता-विज्ञापन एवं जनसम्पर्क (Journalism-Advertising & Public Relations)

5.	प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य	01	वाणिज्य (Commerce)
6.	विज्ञान	02	1. गणित (Mathematics) 2. जन्तु विज्ञान (Zoology)
7.	मानविकी	01	हिन्दी (Hindi)
8.	समाज विज्ञान	02	1.अर्थशास्त्र (Economics) 2. इतिहास (History)

सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor)

क्रम संख्या	विद्याशाखा	पद संख्या	प्रस्तावित विषय
1.	विधि	01	विधि (Law)
2.	विज्ञान	02	1. भूगोल (Geography) 2. वनस्पति विज्ञान (Botany)
3.	समाज विज्ञान	02	1. मनोविज्ञान (Psychology) 2. लोकप्रशासन (Public Administration)
4.	वोकेशनल स्टडीज	01	विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुरूप कुलपति द्वारा विषय निर्धारित किया जायेगा
5.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	01	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (Library & Information Science)

प्रस्ताव संख्या 7.22.3 : विश्वविद्यालय परिनियमावली में नवीन विद्याशाखा-'भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा' (School of Earth and Environmental Sciences) का समावेश/परिनियम संशोधन विषयक प्रस्ताव।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। परिषद ने उच्च शिक्षा में भूविज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन के महत्व तथा विशेषतया हिमालयी क्षेत्रों/राज्यों में इन विषयों पर अध्ययन की उपयोगिता/प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से इन विषयों के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय में 'भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा' (School of Earth and Environmental Sciences) के नाम से प्रस्तावित एक नवीन विद्या शाखा के गठन/समावेश पर विचार किया गया। प्रस्तावित विद्याशाखा के गठन के औचित्य को स्पष्ट करने हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न विस्तृत अवधारणा पत्र (Concept note) का भी अवलोकन किया गया। तदनुसार, इस नई विद्याशाखा के अन्तर्गत एक नया विषय/विभाग

भूगर्भ विज्ञान विभाग स्थापित किए जाने का भी अनुमोदन किया गया। साथ ही पूर्व में स्थापित **विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत** विज्ञान विषयों के अतिरिक्त जो निम्न वर्णित विभाग सम्मिलित हैं, परिषद द्वारा विज्ञान विद्याशाखा से इन विभागों को अलग कर इन्हें प्रस्तावित नवीन **'भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा'** में समावेशित किया जाने का अनुमोदन किया गया :-

1. **वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग।**
2. **भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंन्ध विभाग।**
3. **भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूरसंवेदी अनुप्रयोग विभाग।**

परिषद द्वारा उक्तानुसार किए गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय के अध्याय पांच धारा 13(7 से 13) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का अनुमोदन किया गया:-

परिनियम में पूर्व स्थापित व्यवस्था		परिनियम में संशोधन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था	
विद्याशाखा का नाम	**वर्तमान विभाग**	**विद्याशाखा का नाम**	**प्रस्तावित विभाग**
4. विज्ञान	• वनस्पति विज्ञान विभाग • रसायन विज्ञान विभाग • वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग • भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन विभाग • गणित विभाग • भौतिकी विज्ञान विभाग • प्राणी विज्ञान विभाग • भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग विभाग	4. विज्ञान	• वनस्पति विज्ञान विभाग • रसायन विज्ञान विभाग • गणित विभाग • भौतिकी विज्ञान विभाग • प्राणि विज्ञान विभाग
		14. भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान	• भूगर्भ विज्ञान विभाग • वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग • भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध विभाग • भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग विभाग

प्रस्ताव संख्या 7.22.4: विश्वविद्यालय हेतु मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में सृजित आचार्य के एक पद को भूगर्भ विज्ञान विषय के आचार्य पद में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय में फिलहाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में आचार्य/ प्रोफेसर के पद की आवश्यकता नहीं है। अत: वर्णित परिस्थिति में उक्त पद को प्रोफेसर भूगर्भ विज्ञान में परिवर्तित करने तथा तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर विचार विमर्श एवं निर्णयों के उपरांत विद्यापरिषद के सदस्य सचिव श्री लक्ष्मण सिंह रावत, कुलसचिव द्वारा सभी माननीय बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

(लक्ष्मण सिंह रावत)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)